

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2025

क्रमांक 9 / सां0लि0-36 / 2005

हरदा, दिनांक 28 / 01 / 2025

सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 214, 422 तथा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त कार्य विभाजन आदेशों को अधिक्रमित (सुपरसीड) करते हुए, सिविल जिला हरदा में पदस्थ समस्त न्यायाधीशों/न्यायालयों के बीच सिविल कार्य एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों के बीच दायिद्वार कार्य का वितरण/विभाजन एवं क्षेत्राधिकार निम्नानुसार किया जाता है :-

स. क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्रा-धिकार	अनु क्र.	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश U/s Sec. 376 and Other Offence Against Women Cases तथा अध्यक्ष, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हरदा	सत्र खण्ड	1	विशेष सत्र न्यायाधीशों के द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले सत्र मामलों को छोड़कर समस्त सत्र प्रकरण।
			2	ई.सी. एक्ट से संबंधित आपराधिक अपील।
			3	शेष समस्त आपराधिक अपील।
			4	समस्त आपराधिक पुनरीक्षण।
			5	न्यायिक जिला हरदा पर उद्भूत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482, 483 भा.ना.सु.सं. (विशेष/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश SC/ST(POA) Act, NDPS Act, PC Act, POCSO Act, Electricity Act से संबंधित सीधे संज्ञान में लिये जाने वाले एवं ऐसे विशेष मामलों में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482, 483 भा.ना.सु.सं. को छोड़कर)
			6	धारा 448 एवं 449 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन।
			7	मानव अधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकाएं। (अधिसूचना भोपाल, दिनांक 09.09.1996 के अंतर्गत)
			8	भारतीय सती (प्रतिषेध) अधिनियम के मामले।
			9	विचाराधीन मामलों से संबंधित विविध आवेदन।
			10	विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 01.05.2010 एवं रजिस्ट्री के पृष्ठांकन क्रमांक ए/1416 दिनांक 02.06.2010 के अनुसार औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत धारा 13 के खण्ड(क) तथा (ख), धारा 22 की उपधारा (3) धारा 27 के खण्ड (क) तथा (ग), धारा 28,

				धारा 28क, धारा 28ख तथा धारा 30 की उपधारा(1) के खण्ड(ख) के अधीन दण्डनीय अपराध के प्रस्तुत प्रकरण।
			11	विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 08.12.2017 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			12	किसी अधिनियम, नियम, अधिसूचना द्वारा या राज्य शासन या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायाधीश को अधिकृत किया गया हो तो तत्संबंधी समस्त विशेष प्रकरण।
			13	ग्राम न्यायाधिकारी, हरदा/हंडिया द्वारा निराकृत मामलों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें और संबंधित विविध कार्यवाहियां।
			14	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
			15	अन्य समस्त ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनका उल्लेख कार्य विभाजन पत्रक में पृथक से नहीं है।
			16	माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क्रमांक ए/3452 दिनांक 04.09.2022 के अनुशरण में जिला हरदा की क्षेत्राधिकारिता के समस्त थानों के महिलाओं के विरुद्ध अपराध (आफन्स अगेन्स्ट वोमेन OAW) से संबंधित प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
		सिविल खंड (कुटुम्ब न्यायालय हरदा के क्षेत्राधिकार के नगर पालिका सीमा हरदा से उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर)	1	रु. 5,00,00,001=00 (पांच करोड़ एक रु.) से अधिक के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	म.प्र. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत रेफरेंस तथा विविध कार्यवाहियां।
			3	ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
			4	कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
			5	म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			6	धारा 20 म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अधीन चुनाव याचिकाएं।
			7	धारा 441 म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956 के अधीन चुनाव याचिकाएं।
			8	धारा 9 अशक्त व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनर्वास) अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत रेफरेंस तथा विविध कार्यवाहियां।

		9	भाडा नियंत्रण प्राधिकारी, हरदा के द्वारा पारित निर्णय व आदेशों से उत्पन्न नियमित तथा विविध अपीलें।
		10	ग्राम न्यायाधिकारी, हरदा द्वारा निराकृत मामलों से उत्पन्न व्यवहार अपीलें और संबंधित विविध कार्यवाहियां।
		11	समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, हरदा, टिम्बरनी एवं खिरकिया तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड टिम्बरनी तथा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड हरदा द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों की अपीलें।
		12	धारा 24 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		13	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
		14	लोकल फण्ड आडिट अधिनियम 1938 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		15	पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें, पुनरीक्षण तथा आवेदन पत्र।
		16	धारा 68 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णयन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेश/निर्णय से उद्भूत समस्त नियमित सिविल अपीलें।
		17	इंश्योरेंस अधिनियम 1938 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		18	विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) की धारा 26-क प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के तहत सुनवाई किये जाने वाले विशेष प्रकरण से संबंधित कार्यवाहियां।
		19	लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्य से बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 9 के प्रकरण।
		20	आर्बिट्रेशन तथा कौंसिलेशन एक्ट 1996 की धारा 9 व 34 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण सहित सभी प्रकरण।
		21	मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अन्तर्गत समस्त प्रकरण।
		22	थाना क्षेत्र सिटी कोतवाली हरदा, सिविल लाईन हरदा, थाना क्षेत्र टिम्बरनी, रहटगांव, छीपाबड़, सिराली एवं हंडिया में घटित दुर्घटना से संबंधित दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन एवं उससे संबंधित मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले दुर्घटना दावा प्रकरण, जो मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत उक्त थाना क्षेत्र के स्थानीय अधिकारिता के होने के कारण क्षेत्राधिकार में आते हों।
		23	हरदा जिले से बाहर घटित दुर्घटना से उत्पन्न मोटर दुर्घटना दावा मामले जिनमें आवेदक मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत हरदा जिले में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार रखता हो।

			24	ऐसे समस्त प्रकरणों का क्षेत्राधिकार जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं है।
2.	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम व एन.डी. पी.एस. एक्ट तथा NIA Act 2008 एवं प्रथम जिला न्यायाधीश हरदा के अतिरिक्त न्यायाधीश व सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हरदा	सत्र खण्ड	1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन समस्त विशेष प्रकरण व उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियां तथा धारा 482, 483 भा.ना.सु.सं. के तथा अन्य प्रतिभूति आवेदन पत्र। (म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर के मेमो क. डी/1869 दि. 18.06.2021 के अनुसार उन मामलों को छोड़कर जो SC/ST (POA) Act, 1989 एवं POCSO Act, 2012 दोनों के अंतर्गत पंजीबद्ध हैं)
			2	स्वापक औषधी एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन समस्त विशेष प्रकरण व उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियां तथा धारा 482 व 483 भा.ना.सु.सं. एवं अन्य प्रतिभूत आवेदन पत्र।
			3	समय समय पर प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले।
			4	नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंतर्गत आपराधिक मामले
	सिविल खण्ड		1	ऐसे व्यवहार मामले जो समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे।
			2	इसी न्यायालय द्वारा निराकृत मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन और विविध भुगतान कार्यवाहियां।
			3	समस्त पूर्व तथा वर्तमान प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज) हरदा के सिविल प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।
			4	जिला मुख्यालय की तहसील हरदा, सिराली व हंडिया को छोड़कर जिला हरदा की तहसील टिमरनी, खिरकिया व रहटगांव से उद्भूत कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7 के अधीन आने वाले मामलों का क्षेत्राधिकार।
			5	समस्त पूर्व तथा वर्तमान प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा के न्यायालयों के प्रकरणों से उद्भूत सिविल अपील।
3	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार	सत्र खण्ड	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरण।
			2	उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना दि0 05.05.2009/02.05.2013 के अनुसार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) तथा विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) द्वारा प्रस्तुत होने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रकरण व कार्यवाहियां तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत, धारा 482, 483 भा.ना. सु.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति आवेदन पत्र।

निवारण अधिनियम, 1988 तथा सदस्य दुर्घटना दावा अधिकरण हरदा			3	भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत जिला हरदा के समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन और अन्य विविध कार्यवाहियां।
			4	किशोर न्याय बोर्ड के निर्णयों, आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपीलें।
			5	न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत विविध आपराधिक प्रकरण एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			6	समस्त पूर्व प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदा एवं समस्त पूर्व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के न्यायालय, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं हैं और जिनके कोई उत्तराधिकारी पदस्थ नहीं हैं, उनके निर्णयों से उद्भूत समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां एवं वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
		सिविल खण्ड	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	समस्त पूर्व प्रथम जिला न्यायाधीश हरदा द्वारा निराकृत मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन और विविध भुगतान कार्यवाहियां।
			3	समस्त पूर्व अपर जिला न्यायाधीशों एवं समस्त पूर्व अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के न्यायालय (विशेष न्यायालय एट्रोसिटीज को छोड़कर), जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं हैं और जिनके कोई उत्तराधिकारी पदस्थ नहीं हैं, उनके निर्णयों से उद्भूत समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां एवं वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
			4	समस्त पूर्व व वर्तमान प्रथम जिला न्यायाधीश हरदा द्वारा निराकृत सांपत्तिक वाद से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाहियां, विविध भुगतान कार्यवाहियां, अनुषांगिक कार्यवाहियां एवं वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
			5	समस्त पूर्व प्रथम जिला न्यायाधीश हरदा द्वारा निराकृत मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन और विविध भुगतान कार्यवाहियां।
			6	पत्र फाईल क्रमांक 17(ई) 2/2019/21/ब/एक/103/2019 दिनांक 30.01.2019 के अनुसार अधोसरचना से संबंधित विनिर्दिष्ट अनुतोष के मामले।
			7	हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रकरण एवं जुवेनाईल जस्टिस एक्ट धारा 41 से संबंधित प्रकरण।
			8	भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत रिफरेंस प्रकरण व उनसे उत्पन्न अपील एवं विविध कार्यवाहियां तथा निष्पादन प्रकरण।
			9	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत भाग-10 के प्रकरणों को छोड़कर संपूर्ण प्रकरण।

			10	समस्त पूर्व तथा वर्तमान द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा के न्यायालयों के प्रकरणों से उद्भूत सिविल अपील।
			11	रूपये 501=00 से रूपये 1,000=00 तक के लघुवाद मामले।
4	द्वितीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश हरदा, विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा सदस्य दुर्घटना दावा अधिकरण हरदा	सत्र खण्ड हरदा	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरण।
			2	न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत विविध आपराधिक प्रकरण एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			3	समस्त पूर्व द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदा एवं समस्त पूर्व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के न्यायालय, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं हैं और जिनके कोई उत्तराधिकारी पदस्थ नहीं हैं, उनके निर्णयों से उद्भूत समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां एवं वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
	सिविल खण्ड		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रु० 1,00,00,001=00 (रु० एक करोड़ एक) से रु० 5,00,00,000=00 (रु० पांच करोड़) तक के अ एवं ब वर्ग के वाद (वाणिज्यिक प्रकरणों को छोड़कर) (समस्त हरदा जिला)
			3	समस्त पूर्व द्वितीय जिला न्यायाधीशों एवं समस्त पूर्व अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के न्यायालय (विशेष न्यायालय-एट्रो० को छोड़कर), जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं हैं और जिनके कोई उत्तराधिकारी पदस्थ नहीं हैं, उनके निर्णयों से उद्भूत समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां एवं वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
			4	समस्त पूर्व द्वितीय जिला न्यायाधीश हरदा एवं समस्त

				पूर्व तृतीय जिला न्यायाधीश हरदा द्वारा निराकृत सांपत्तिक वाद से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाहियां, विविध भुगतान कार्यवाहियां, अनुषांगिक कार्यवाहियां एवं वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
			5	समस्त पूर्व द्वितीय जिला न्यायाधीश हरदा एवं समस्त पूर्व तृतीय जिला न्यायाधीश हरदा द्वारा निराकृत मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन और विविध भुगतान कार्यवाहियां।
			6	पत्र फाईल क्रमांक 17(ई) 2/2019/21-ब एक/103/2019 दि० 30.01.2019 के अनुसार अधोसरचना से संबंधित विनिर्दिष्ट अनुतोष के मामले।
			7	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत भाग-10 के प्रकरणों को छोड़कर संपूर्ण प्रकरण।
			8	समस्त पूर्व तथा वर्तमान तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा एवं समस्त पूर्व तथा वर्तमान अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (वर्तमान में रिक्त) के न्यायालयों के प्रकरणों से उद्भूत सिविल अपील।
			9	रूपये 501=00 से रूपये 1,000=00 तक के लघुवाद मामले।
5	तृतीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश हरदा (विशेष न्यायाधीश (POCSO Act. 2012))	सत्र खण्ड हरदा	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरण।
			2	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित प्रकरण तथा उनसे उद्भूत जमानत आवेदन पत्र रिमाण्ड कार्यवाही एवं समस्त विविध कार्यवाही (ऐसे मामले जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम दोनों से संबंधित हैं, उनके बारे में उपरोक्तानुसार कार्यवाही)।
6	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) हरदा	तहसील हरदा	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रूपये 5,00,001=00 (पांच लाख एक) से रूपये 1,00,00,000=00 (एक करोड़) तक के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद।
			3	(1) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड हरदा तथा टिमरनी के न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण। (2) अपील/वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषित समस्त मामले तथा वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
			4	पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत तहसील हरदा, हंडिया के व्यवहार वाद तथा दांडिक पुनरीक्षण।
			5	201=00 रु० से 500=00 रु० तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।
			6	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत भाग-10

				के तहसील हरदा, हंडिया के समस्त प्रकरण।
			7	मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अधीन हरदा व हंडिया के प्रकरण। (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
7	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) हरदा	(1) तहसील सिराली (2) ग्राम न्यायालय हरदा व हंडिया तथा जनपद पंचायत हरदा	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रुपये 5,00,001=00 (पांच लाख एक) से रुपये 1,00,00,000=00 (एक करोड़) तक के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद।
			3	201=00 रु0 से रु0 500=00 रुपये तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।
			4	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, वरिष्ठ खंड, हरदा के निर्णय/आदेश से उद्भूत प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां।
			5	अपील/वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषित समस्त मामले व वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
			6	विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दि० 20.03.2019 से राजस्व तहसील हरदा की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें, अन्य ऐसी तहसीलें, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए जहां तक कॉलम नंबर-3 में उल्लेखित जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है, के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।
			7	प्रति सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय का कार्य संचालित किया जावेगा।
			8	पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत तहसील सिराली, टिमरनी व रहटगांव के व्यवहार वाद तथा दांडिक पुनरीक्षण।
			9	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत भाग-10 के तहसील सिराली, टिमरनी व रहटगांव के प्रकरण।
			10	मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अधीन सिराली, टिमरनी व रहटगांव के प्रकरण। (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
8	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) हरदा	तहसील हंडिया, टिमरनी एवं रहटगांव	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रुपये 5,00,001=00 (पांच लाख एक) से रुपये 1,00,00,000=00 (एक करोड़) तक के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद।
			3	201=00 रु0 से रु0 500=00 रुपये तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।
			4	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, वरिष्ठ खंड, हरदा के निर्णय/आदेश से उद्भूत प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां।

			5	(1) समस्त पूर्व व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के न्यायालयों के सिविल प्रकरणों से संबंधित आदेश/निर्णय से उत्पन्न विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण। (2) अपील/वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषित समस्त मामले व वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
9	व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) खिरकिया	तहसील खिरकिया	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रुपये 0=00 (शून्य) से 1,00,00,000=00 (रु0 एक करोड़) तक के मूल्य के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद।
			3	(1) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 वरिष्ठ खंड खिरकिया के न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण। (2) अपील/वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषित समस्त मामले तथा वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
			4	पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत तहसील खिरकिया के व्यवहार वाद तथा दांडिक पुनरीक्षण।
			5	रुपये 0=00 (शून्य) से 500=00 रुपये तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।
			6	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत भाग-10 के तहसील खिरकिया के प्रकरण।
			7	मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अधीन प्रकरण। (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) हरदा		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	(1) पूर्व तथा वर्तमान प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कनिष्ठ खंड, हरदा के न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण। (2) अपील/वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषित समस्त मामले तथा वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
			3	समस्त पूर्व प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, कनिष्ठ खंड,

				हरदा तथा समस्त पूर्व प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, कनिष्ठ खंड, हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालयों द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध व प्रवर्तन प्रकरण तथा आनुषांगिक कार्यवाहियां।
11	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) हरदा	तहसील हरदा, हंडिया व सिराली	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रुपये 0=00 (शून्य) से 5,00,000=00 (पांच लाख) तक के मूल्य के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद। (माह मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर व दिसंबर में संस्थित होने वाले प्रकरणों के संबंध में।)
			3	रुपये 0=00 से 200=00 रुपये तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।
			4	(1) पूर्व तथा वर्तमान द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 हरदा के न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण। (2) अपील/वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषित समस्त मामले तथा वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
12	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) हरदा	तहसील हरदा, हंडिया व सिराली	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रु0 0=00 (शून्य) से 5,00,000=00 (पांच लाख) तक के मूल्य के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद। (माह जनवरी, फरवरी, मई, जून, सितंबर व अक्टूबर में संस्थित होने वाले प्रकरणों के संबंध में)
			3	रु0 0=00 से रु0 200=00 तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।
			4	(1) पूर्व तथा वर्तमान तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 हरदा के न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण। (2) अपील/वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषित समस्त मामले तथा वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
13	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) हरदा		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	(1) पूर्व तथा वर्तमान चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 हरदा के न्यायालय द्वारा निराकृत एवं लंबित सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण। (2) अपील/वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषित समस्त मामले तथा वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
14	व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) टिमरनी	तहसील टिमरनी व रहटगांव	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			2	रु0 0=00 (शून्य) से 5,00,000=00 (पांच लाख) तक के मूल्य के अ एवं ब वर्ग के नियमित सिविल वाद।
			3	(1) व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड टिमरनी द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण तथा माननीय उच्च

			न्यायालय से प्राप्त कार्यवाहियां। (2) अपील/वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषित समस्त मामले तथा वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन।
		4	रु0 0=00 से रु0 200=00 तक के लघुवाद अधिनियम 1877 के मामले।

न्यायाधीशगण की अवकाश अवधि अथवा अनुपस्थिति की दशा में निम्नानुसार कार्य व्यवस्था रहेगी :-

अनुसूची-“अ”

स. क.	न्यायालय	कालॅम क्रमांक 2 के अवकाश, स्थानांतरण अथवा न्यायालय रिक्त होने पर	कालॅम क्रमांक 3 के अवकाश, स्थानांतरण अथवा न्यायालय रिक्त होने पर
1	2	3	4
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम् अति० सत्र न्यायाधीश हरदा
2	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) हरदा	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम् अति० सत्र न्यायाधीश हरदा
3	विशेष न्या० (भ्रष्टा० निवा० अधि०) हरदा	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम् अति० सत्र न्यायाधीश हरदा
	प्रथम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, हरदा	द्वितीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम् अति० सत्र न्यायाधीश हरदा
4	द्वितीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश हरदा	तृतीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम् अति० सत्र न्यायाधीश हरदा
5	तृतीय जिला एवं अति० सत्र न्या० हरदा तथा विशेष न्या० (पॉक्सो अधिनियम) हरदा	द्वितीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम् अति० सत्र न्यायाधीश हरदा

अनुसूची-“ब”

स. क.	न्यायालय	कालॅम क्रमांक 2 के अवकाश, स्थानांतरण अथवा न्यायालय रिक्त होने पर	कालॅम क्रमांक 3 के अवकाश, स्थानांतरण अथवा न्यायालय रिक्त होने पर
1	2	3	4
1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड हरदा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 वरिष्ठ खंड हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम् व्यवहार न्यायाधीश हरदा
2	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरदा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 वरिष्ठ खंड हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम् व्यवहार न्यायाधीश हरदा
3	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 वरिष्ठ खंड हरदा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम् व्यवहार न्यायाधीश हरदा
4	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, खिरकिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 वरिष्ठ खंड हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम् व्यवहार न्यायाधीश हरदा
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कनिष्ठ खंड हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम् व्यवहार न्यायाधीश हरदा
6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कनिष्ठ खंड हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम् व्यवहार न्यायाधीश हरदा
7	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश,	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश	उपस्थित वरिष्ठतम्

	कनिष्ठ खंड, हरदा	वर्ग-2 कनिष्ठ खंड हरदा	व्यवहार न्यायाधीश हरदा
8	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम् व्यवहार न्यायाधीश हरदा
9	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, टिमरनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा	उपस्थित वरिष्ठतम् व्यवहार न्यायाधीश हरदा

नोट :-

- (1) इस जिला स्थापना पर यदि किसी न्यायालय में पदस्थ पीठासीन अधिकारी व्यवहार न्यायाधीश का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाता है तो उक्त न्यायालय (रिक्त न्यायालय) को आवंटित समस्त सिविल कार्य आगामी आदेश होने तक स्थापना पर पदस्थ उल्लेखित सारणी अनुसार प्रभारी न्यायाधीश द्वारा संपादित किये जायेंगे।
- (2) किसी पीठासीन अधिकारी के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में प्रभारी अधिकारी समस्त (सिविल व आपराधिक) अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे।
- (3) पूर्व में रिक्त रहे ऐसे सभी न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत हैं, का तत्समय का समस्त कार्य वर्तमान में कार्यरत संबंधित न्यायालय द्वारा संपादित किया जावेगा।
- (4) जिला स्थापना पर कार्यरत किसी जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश का न्यायालय रिक्त होने की दशा में उक्त रिक्त न्यायालय के अत्यावश्यक (सिविल एवं आपराधिक) कार्य हेतु सारणी के उल्लेखित नियुक्त प्रथम प्रभारी अधिकारी के द्वारा ही क्लेम प्रकरणों में जमा राशि के भुगतान संबंधी कार्यवाही सहित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियाँ सम्पादित की जायेगी।
- (5) क्षेत्राधिकार के संबंध में भ्रम की स्थिति में आवेदन प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (6) निराकृत विशेष प्रकरणों के संबंध में वरिष्ठ न्यायालयों से आदेश प्राप्त होने पर कार्यविभाजन आदेश में दिये गये क्षेत्राधिकारिता अनुसार अधिसूचित न्यायालयों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
- (7) प्रभारी न्यायिक अधिकारी हेतु उल्लेखित सारणी में जिला न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायाधीशों के तीनों प्रभारियों के अवकाश पर होने की स्थिति में स्थापना पर उपस्थित वरिष्ठ जिला न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड द्वारा विधिवत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
- (8) म0प्र0 विशेष अधिनियम के मामले, म0प्र0 शासन विधि एवं विधायी विभाग के अधिसूचना क्र0 17(ई)8-2012/इक्कीस-ब(एक)282/2021 के अनुसार, भोपाल के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
- (9) मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी विभाग की अधिसूचना क्र0 17(ई) 17/2016/इक्कीस-ब (एक) 1888-19 दिनांक 02 अप्रैल 2019 के अनुसार, कामर्शियल कोर्ट एक्ट के मामले, भोपाल के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
- (10) समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं म0प्र0 विधि एवं विधायी विभाग के अधिसूचनाओं द्वारा जिन विशेष न्यायालय को अधिकारिता दी गई है वही कार्यवाही करेंगे और यदि हरदा क्षेत्र की अधिकारिता अन्य किसी जिले के विशेष न्यायालय को दी गई हो तो वहां होगी।
- (11) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा की अनुपस्थिति/अवकाश/प्रशिक्षण/प्रवास या न्यायालय रिक्त होने की दशा में न्यायिक जिला स्थापना हरदा से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्यों का संपादन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) हरदा द्वारा किया जावेगा। (विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश द्वारा)।

(12) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा की अनुपस्थिति/अवकाश/प्रशिक्षण/प्रवास या न्यायालय रिक्त होने की दशा में द्वितीय जमानत याचिका अथवा सहअभियुक्त की जमानत याचिका स्वतः संबंधित न्यायिक अधिकारी, जिसके द्वारा प्रथम जमानत याचिका अथवा सहअभियुक्त की जमानत याचिका की सुनवाई की गई है, को अंतरित समझी जावेगी।

(13) तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदा के न्यायालय से जारी किये गये स्थायी वारंट (विशेष पॉक्सो प्रकरणों से जारी स्थायी वारंटों को छोड़कर) के पालन में उपस्थित अभियुक्त प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदा के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(14) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा के अवकाश या प्रशिक्षण पर होने अथवा न्यायालय रिक्त होने की दशा में उक्त अवधि में प्रस्तुत होने वाले जिला हरदा की सत्र क्षेत्राधिकारिता से संबंधित आपराधिक पुनरीक्षण विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) हरदा एवं विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) के अवकाश या प्रशिक्षण पर होने अथवा न्यायालय रिक्त होने की दशा में अन्य वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश द्वारा अंतिमतः निराकृत किये जावेंगे और उस हेतु वह प्रकरण स्वतः अंतरित समझा जावेगा तथा तदनुसार सीआईएस आदि में प्रविष्टि की जावेगी।

(15) अन्य सभी अत्यावश्यक कार्यों का संपादन इस कार्य विभाजन आदेश की अनुसूची-अ एवं अनुसूची-ब की सारणी के कॉलम क्रमांक 3 अथवा 4 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों के द्वारा किया जावेगा।

(16) मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत यह आदेशित जाता है कि ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश के दौरान समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी/प्रभारी पीठासीन अधिकारी यह विनिश्चित कर सकेंगे कि क्या प्रस्तुत प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है और ऐसे प्रकरण को अत्यावश्यक पाये जाने पर विधि अनुसार विनिश्चित कर सकेंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा
हरदा, दिनांक 28/01/2025

पृष्ठांकन क्रमांक 124 / सां0लि0/36
प्रतिलिपि :-

- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) हरदा
- समस्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरदा
- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हरदा
- समस्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खंड, हरदा/टिमरनी/खिरकिया
- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- पुलिस अधीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जिला अभियोजन अधिकारी, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, बार एसोसिएशन, हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यविभाजन आदेश जिला न्यायालय, हरदा की वेबसाइट पर अपलोड करें तथा सर्वसंबंधित की ओर ऑनलाईन प्रसारित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा